CIN: U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजिकृत कार्या0 : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाषः 0141–2740382–1318, फेक्सः 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: semis@jvvnl.in

क्रमांक.जेपीडी / एमडी / एमआईएस / प्रे.– 231 दिनांकः 23 जनवरी,2015

कार्यालय आदेश

वृत स्तर पर विभिन्न केन्द्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं तथा विद्युत छीजत कम करने की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, चल रहे कार्यों की गुणवत्ता, राजस्व में अपेक्षित वृद्धि व उसकी समय से वसूली, गहन सतर्कता अभियान व अन्य कार्यो में अपेक्षित सुधार और ,लक्ष्य अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर सतत निगरानी हेतु निम्न अधिकारियों को वृत प्रभारी / उप प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी यथासंभव शनिवार को प्रत्येक माह में कम से कम एकबार उनके नाम के समक्ष वृतों की समीक्षा हेतु दौरा करेगें। अपेक्षित प्रगति के लिए समयबद्ध योजना द्वारा लगातार निगरानी करते हुए विभिन्न योजनाओं को समय पर उन वृतों में पूरा कराने के लिए कार्य योजना तैयार करायेगें व कार्य प्रगति व गुणवत्ता की सैम्पल जांच करेगें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक दौरे की कार्यवाही रिपोर्ट दौरे के तीन दिन में प्रस्तुत करेगें एवं निगम स्तर पर योजनाओं की प्रगति हेतु आयोजित बैठकों में, वृतों में हो रही विभिन्न कार्यो की प्रगति से अवगत करवायेगें।

प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि वृतों का कार्य प्रदर्शन मासिक रूप से उत्तरोतर बेहतर हो सके। अन्य अधिकारी यदि किसी वृत की कार्य समीक्षा हेतु बैठक आयोजित करना चाहते है तो यह बेहतर होगा कि वे प्रभारी अधिकारी के साथ समन्वय कर वृत में आयोजित बैठक में भागेदारी करलें ताकि वृत में बार–बार अलग से बैठक करने का समय बचाया जा सके। यह आदेश पूर्व में जारी प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जारी आदेशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

प्रभारी अधिकारी विशेष रूप से निम्न योजनाओं व कार्यो की समीक्षा करेगें:–

1 विद्युत छीजत कम करने की कार्य योजनाओं की प्रगति
2 समय से सही रीडिंग लाने, बिलिंग करने व लक्षित राजस्व वसूली की स्थिति
3 अत्यधिक विद्युत छीजत वाले शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गहन सतर्कता, अन्तर उपखण्ड सतर्कता अभियान की प्रगति
4 खराब व बंद मीटर बदलने की कार्य प्रगति
5 सतर्कता जांचों का अंतिम निस्तारण एवं अंकेक्षण रिपोर्ट पर राजस्व वसूली की कार्यवाही
6 बकाया राजस्व वसूली व विद्युत संबंध विच्छेद की कार्यवाही

7 स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शनों की भौतिक जांच व ई.यू.डी.आर. / एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

8 विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, जले हुये वितरण ट्रांसफार्मर बदलने की स्थिति

9 राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति

10 स्टोर में उपलब्ध अनुपयुक्त मैटेरियल का निस्तारण

11 विद्युत चौपालों, ई–सुगम, ई सम्पर्क पर व अन्य फोरम व सेटलमेन्ट हेतु प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण व फीडबैक की स्थिति

12 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों, वीडियों कान्फ्रेन्स में एवं अन्य जारी निर्देशों / आदेशों की पालना की स्थिति

क्रमांक	वृत का नाम	प्रभारी अधिकारी	उप प्रभारी अधिकारी
1	अलवर	मुख्य अभियन्ता (पीपीएम), जयपुर	मुख्य लेखाधिकारी (आईए), जयपुर
2	भरतपुर	मुख्य अभियन्ता (पीपीएम), जयपुर	अति.पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर
3	धौलपुर	मुख्य अभियन्ता (पीपीएम), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर
4	दौसा	निदेशक (वित्त), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस), जयपुर
5	करौली	मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर	मुख्य लेखाधिकारी (एफएम), जयपुर
6	जयपुर शहर	निदेशक (वित्त), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), जयपुर
7	जयपुर जिला	निदेशक (तकनीकी), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (आरए एण्ड आर), जयपुर
8	झालावाड़	अति. मुख्य अभियन्ता (एमएण्डपी-आईटी–डीएसएम), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (सुरक्षा), जयपुर
9	बारां	अति. मुख्य अभियन्ता ((एमएण्डपी-आईटी–डीएसएम), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (टीडब्ल्यू), जयपुर
10	कोटा	अति. मुख्य अभियन्ता (एमएण्डपी-आईटी–डीएसएम), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), जयपुर
11	बूंदी	मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान), जयपुर
12	सवाई माधोपुर	मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर	विशेषाधिकारी (एटीआर), जयपुर
13	टौंक	निदेशक (तकनीकी), जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता –प्रा. सहायक–अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर

संबंधित उपप्रभारी अधिकारी समीक्षा बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त माह में कम से कम दो चिन्हित उपखण्डों का जिनमें लक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है, का दौरा कर की जा रही कार्यवाहियों की स्थिति की जांच करेगें। संभागीय मुख्य अभियन्ता भी समीक्षा बैठकों के आधार पर प्रतिमाह प्रत्येक वृत के कम से कम एक चिन्हित उपखण्ड का दौरा कर विद्युत छीजत कम करने, राजस्व संकलन बढ़ाने तथा योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की प्रगति हेतु दौरा करेगें।

संबंधित संभागीय मुख्य अभियन्ता भी प्रभारी अधिकारियों के साथ वृत समीक्षा बैठकों में उपस्थित रहेंगें व अपने क्षेत्र की दैनिक प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए वृत में कार्यो की लगातार मॉनिटरिंग करेंगें एवं प्रगति हेतु उन वृत्तों में किये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना प्रभारी अधिकारी के साथ समन्वय कर तैयार करेगें

व निदेशक (तकनीकी) को अवगत करावेगें तथा राजस्व की स्थिति के बारे में निदेशक (वित्त) को सूचित करेंगे।

प्रभारी अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो रही हो तो लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी को चिन्हित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी को विवरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत प्रभाव से संबंधित वृत के अधीक्षण अभियन्ता व संभागीय मुख्य अभियन्ता के साथ समन्वय कर दौरे का कार्यक्रम सूचित करे व प्रगति से अवगत करावे।

(अनुराग भारद्वाज)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (वित्त / तकनीकी),जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (पवस / पीपीएम / एमएम / एमएण्डपी–आईटी–डीएसएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (जेसीसी / जेपीडीसी / पवस / ....), जयपुर डिस्कॉम, ...
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. सचिव (प्रशासन),जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी (आईए / एफएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (राजस्व), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

23/1/15
(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)